परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या 05/2022

OPERATING SAFETY ALERT No.05/2022

विषय:- धनबाद मंडल के टनकुप्पा स्टेशन पर मालगाड़ी संख्या अप सी.पी.सी /सी एच के तीन (3) वैगनों का अवपथन ।

दिनांक 27.12.2022 को उक्त गाड़ी गुरुपा अप लूप से 02.10 मिनट पर रुकने के बाद 02.34 बजे प्रस्थान कर पहाड़पुर स्टेशन से 02.46 बजे पास किया और बंसीनाला ब्लॉक हट से 02. 51 मिनट में पास किया। कि. मी 447/1-447/3 पर गाड़ी के ब्रेकयान से चौथा से छठवां बैगन का व्हील ट्रैक से उतर गया और लगभग 2 कि.मी घसीटने के बाद टनकुप्पा स्टेशन पर पहुंचते ही ब्रेकयान से चौथा,पाँचवा और छठे वैगनों का अवपथन हो गया । इसके ब्रेकयान से छठवां (6) वैगन के पीछे वाली ट्रॉली के अगले पहिए में हॉट ऐक्सल (गर्म धुरा) के कारण इसके एडाप्टर,कटपीस, जनरल एवं वियरिंग कि. मी 447/1 पर निकले पाए गए। पहाड़पुर स्टेशन के पूर्व केबिन स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी का अवलोकन के पश्चात कंट्रोल को ब्रेक बाइंडिंग की सूचना दी गई और तदनुसार पश्चिम केबिन को बताते हुए बंशिनाला को भी बताया गया । ब्रेक बाइंडिंग की सूचना दिया जाना जब गाड़ी में हॉट एक्सल था, गलत था ।

घटना का कारण:- ब्रेकयान से छठवां (6) वैगन मे हॉटऐक्सल (गर्म धुरा) होना ।

इस प्रकार की घटनाओ को रोकने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक है:-

(1) स्टेशनों से गाड़ियां सुरक्षित पास कर रही हो इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी स्टेशन मास्टर/ केबिन मास्टर/लोको पायलट/गार्ड द्वारा सा.एवं स.नियम 4.42, स.नियम 5.01(5) का पालन किया जाय ।

(2) लोको पायलट तथा सहायक लोको पायलट द्वारा सा.एवंस.नियम 4.41 का पालन करते हुए अपनी गाड़ी को बार-बार पीछे देखना चाहिए और समपार फाटक पार करते समय गेट द्वारा अथवा सेक्शन के गैंग मैन के द्वारा यदि कोई खतरे का संकेत तो नहीं दिखाया जा रहा है, इसे देखना चाहिए ।

(3) यदि क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण वाहन अथवा हॉट ऐक्सल /गर्म धुरा ,रोलर बेयरिंग का जाम होना, वस्तुओं का गाड़ियों से गिरना ,वाहनों में आग लगना, या अन्य असुरक्षित परिस्थितियों पाई जाती हैं तो सामान्य एवं सहायक नियम 4.29 नियम का पालन करते हुए त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(4) समपार फाटक से गाड़ी पास करते समय गेटमैन यदि असामान्य स्थिति को देखता है तो सामान्य एवं सहायक नियम 16.04 मे निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेगा तथा गाड़ी के गार्ड/लोको पायलट/ संबंधित स्टेशन को सूचित करने का प्रयास करेगा/ खतरे का सिगनल दिखेएगा ।

(5) गार्ड/लोको पायलट स.नियम 4.43 का पालन करते हुए गेटमैन का सिगनल तत्परता से देखेगे एवं आवश्यकता के अनुसार उचित कार्यवाही करेंगे ।

सभी मंडलों को निर्देश दिया जाता है कि थ्रु पास करने वाली गाड़ियों में असामान्य स्थिति को रोकने के लिए सामान्य एवं सहायक नियमों की विस्तृत चर्चा निरीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों के द्वारा सभी संबंधित कर्मचारियों के बीच किया जाय जिससे घटना की सही पहचान हो सके और सही सूचना देकर भविष्य में ऐसी दुर्घटना को रोका जा सके ।

30.12.22

(बी के दास)

मुख्य परिचालन प्रबंधक /सा

पूर्व मध्य रेल

सं0.ई सी आर /परि. संरक्षा /चेतावनी /73 /505, **दिनांक 30.12.22**

प्रतिलिपि:

1. सचिव, महाप्रबंधक /पूमरे, हाजीपुर - महाप्रबंधक महोदय को सादर सूचनार्थ हेतु ।
2. प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी/ पूमरे, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।
3. मण्डल रेल प्रबंधक -धनबाद,दानापुर, डी डी यू ,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ।
4. वरि.मण्डल परिचालन प्रबंधक-धनबाद,दानापुर,डी.डी.यू,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

Scanned by CamScanner